छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 5–23/2022/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर,दिनांक 12/04/2023

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख,
छत्तीसगढ़, अरण्य भवन,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः– आवेदनकर्ता मेसर्स महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा बालौदाबाजार जिले के बालौदाबाजार वनमंडल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 2.350 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC, दिनांक 15.06.2004।

3. विभागीय पत्र क्रमांक एफ 5–23/2022/10–2, दिनांक 24.01.2023।

4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध–ए/115–928 ए/656, दिनांक 17.03.2023।

---000---

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र क्र. 3 के माध्यम से राज्य शासन एतद् द्वारा विषयांकित प्रकरण में सशर्त प्रथम चरण स्वीकृति जारी की गई थी। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के संदर्भित पत्र क्र. 4 में उक्त प्रथम चरण स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन प्रतिवेदन प्रेषित कर राज्य शासन से सामान्य अनुमोदन के तहत् औपचारिक अनुमति का अनुरोध किया गया है।

विषयांकित प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के संदर्भित पत्र क्र. 4 में प्रदायित पालन प्रतिवेदन के आधार पर तथा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000, पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009, पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 एवं पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004 में निहित प्रावधानो के अंतर्गत विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न तालिका में दर्शित विवरण अनुसार :–

तालिका

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्रमांक	लंबाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	लवन	बरीकेल	आरक्षित वनभूमि	135	1420	0.50	0.071
2	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	लवन	अर्जुनी	आरक्षित वनभूमि	137	380	0.50	0.019
3	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	लवन	बरीकेल	आरक्षित वनभूमि	133	960	0.50	0.048
4	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	सोनाखान	पोड़ी	आरक्षित वनभूमि	212	2060	0.50	0.103
5	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	सोनाखान	पोड़ी	आरक्षित वनभूमि	211	3980	0.50	0.199
6	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	सोनाखान	पोड़ी	आरक्षित वनभूमि	208	900	0.50	0.045
7	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	सोनाखान	पोड़ी	आरक्षित वनभूमि	207	2680	0.50	0.134
8	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	सोनाखान	सोनाखान	आरक्षित वनभूमि	227	400	0.50	0.020
9	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	सोनाखान	सोनाखान	आरक्षित वनभूमि	230	620	0.50	0.031
10	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	सोनाखान	सोनाखान	आरक्षित वनभूमि	226	720	0.50	0.036

क्रमशः 2

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्रमांक	लंबाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
11	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	सोनाखान	सोनाखान	आरक्षित वनभूमि	235	920	0.50	0.046
12	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	सोनाखान	सोनाखान	आरक्षित वनभूमि	240	440	0.50	0.022
13	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	सोनाखान	कौहाकुड़ा	आरक्षित वनभूमि	223	1720	0.50	0.086
14	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	सोनाखान	कोठारी	आरक्षित वनभूमि	247	620	0.50	0.031
15	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	सोनाखान	सोनाखान	आरक्षित वनभूमि	241	2800	0.50	0.140
16	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	सोनाखान	सोनाखान	आरक्षित वनभूमि	242	2060	0.50	0.103
17	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	देवपुर	सोनाखान	आरक्षित वनभूमि	243	2260	0.50	0.113
18	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	देवपुर	कोर्रा	आरक्षित वनभूमि	244	1500	0.50	0.075
19	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	देवपुर	कोर्रा	आरक्षित वनभूमि	246	1760	0.50	0.088
20	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	बिलाईगढ़	सलिहा	आरक्षित वनभूमि	436	1300	0.50	0.065
21	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	बिलाईगढ़	बगमल्ला	आरक्षित वनभूमि	415	1220	0.50	0.061
22	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	बिलाईगढ़	बगमल्ला	आरक्षित वनभूमि	408	4600	0.50	0.230
23	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	बिलाईगढ़	बगमल्ला	आरक्षित वनभूमि	406	1860	0.50	0.093
24	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	बिलाईगढ़	बगमल्ला	आरक्षित वनभूमि	405	1400	0.50	0.070
25	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	बिलाईगढ़	बगमल्ला	आरक्षित वनभूमि	416	1960	0.50	0.098
आरक्षित वनभूमि का योग							**40540**	**0.050**	**2.027**
26	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	देवपुर	देवरी	संरक्षित वनभूमि	257	1440	0.50	0.072
27	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	देवपुर	देवरी	संरक्षित वनभूमि	258	960	0.50	0.048
28	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	देवपुर	देवरी	संरक्षित वनभूमि	262	380	0.50	0.019
29	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	अर्जुनी	नगेड़ी	संरक्षित वनभूमि	320	300	0.50	0.015
30	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	अर्जुनी	बानीखार	संरक्षित वनभूमि	329	700	0.50	0.035
31	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	अर्जुनी	बिलारी	संरक्षित वनभूमि	324	400	0.50	0.020
संरक्षित वनभूमि का योग							**4180**	**0.50**	**0.209**
32	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	लवन	नंदनिया	नारंगी वनक्षेत्र	143	160	0.50	0.008
33	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	सोनाखान	बोरसी 'ब'	नारंगी वनक्षेत्र	184	540	0.50	0.027
34	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	सोनाखान	भुसड़ीपाली 'अ'	नारंगी वनक्षेत्र	224	200	0.50	0.010
35	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	अर्जुनी	नगेड़ी	नारंगी वनक्षेत्र	321	380	0.50	0.019
नारंगी वनभूमि का योग							**1280**	**0.50**	**0.064**

202

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	खसरा क्रमांक	लंबाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.में)
36	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	कसडोल	सुकदा	बड़े झाड़ का जंगल	584/1	280	0.50	0.014
37	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	कसडोल	सुकदा	बड़े झाड़ का जंगल	318/1क/1	460	0.50	0.023
38	बलौदाबाजार–भाटापारा	बलौदाबाजार	बिलाईगढ़	धौराभाठा	बड़े झाड़ का जंगल	175/1/क/1	260	0.50	0.013
राजस्व वनभूमि का योग							**1000**	**0.50**	**0.050**
कुल योग :–							**47000 (47 K.M.)**	**0.50**	**2.350**

उक्त 47 कि.मी. लंबे तथा 0.5 मीटर चौड़े वन क्षेत्र कुल 2.350 हे. वन भूमि (आरक्षित वन भूमि 2.027 हे. संरक्षित वन भूमि 0.209 हे. नारंगी वन भूमि 0.064 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.050 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मेसर्स महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़ को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन (Stage -II Approval) अंतिम चरण की स्वीकृति दी जाती है :–

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2. प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नही किया जायेगा ।

3. ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।

4. उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौडाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी। वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में बिना मशीनों का उपयोग किये मजदूरों के द्वारा खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा ।

5. स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।

6. उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई कें अंतर्गत ही बिछाई जावेगी ।

7. आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा ।

8. आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।

9. आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।

10. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नही किया जायेगा।

11. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तो का पालन किया जाएगा।

क्रमशः 4

12. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,रायपुर को प्रेषित करेंगे ।

13. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को निवेदन करेंगे।

14. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय–समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तो के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा ।

उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त के उल्लंघन को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन मानकर कार्यवाही की जायेगी।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 उपरोक्त शर्तो का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

12.4.23
(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक/एफ 5–23/2022/10–2 — नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 12/04/2023

प्रतिलिपि :–

1.वनमहानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

2.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।

3.मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर, छत्तीसगढ़।

4.वनमंडलाधिकारी, बालौदाबाजार वनमंडल, बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़।

5.आवेदनकर्ता, महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, चतुर्थ तल, अंबुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

O/C

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग